

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

83 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025

25.08.2025

तारीख निर्णय

16.10.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि
नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री मनमोहन गुप्ता पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता निवासी कृषि कॉलेज के पास झिलाई तह.
निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गर्ग डिपार्टमेन्टल स्टोर कृषि कॉलेज के पास बंशीवारा
मन्दिर के पास झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। मोबाईल नं.-9785117353
2-मैसर्स गर्ग डिपार्टमेन्टल स्टोर कृषि कॉलेज के पास बंशीवारा मन्दिर के पास झिलाई तह.
निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड-304025

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री अवधेश कुमार जैन उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 18.06.2025 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स गर्ग डिपार्टमेन्टल स्टोर कृषि कॉलेज
के पास बंशीवारा मन्दिर के पास झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर
प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मनमोहन गुप्ता पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता अपने प्रतिष्ठान
मैसर्स गर्ग डिपार्टमेन्टल स्टोर कृषि कॉलेज के पास बंशीवारा मन्दिर के पास झिलाई तह.
निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मनमोहन गुप्ता
पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री
मनमोहन गुप्ता पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना
स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
आम जनता को विक्रय हेतु दुकान लोहे के एक टिन में लगभग 8-9 किलोग्राम सरसों तेल
(खुला) रखा हुआ था। इस तेल का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री
मनमोहन गुप्ता पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना
जांच कर करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता
श्री मनमोहन गुप्ता पुत्र श्री अमोलक चन्द गुप्ता के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर
मय मोहर किया तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह सरसों तेल (खुला)



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दुकान के एक टिन में लगभग 8-9 किलोग्राम में से सरसों तेल (खुला) को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 1600 ग्राम वारसे नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल (खुला) 1600 ग्राम को अलग-अलग 4 चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक शिशी में 400-400 ग्राम भरकर, शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह धिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई-4398 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई-4398 नीचे से ऊपर तक गोंद से धिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/946 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2608/एक्ट/2025/2650 दिनांक 24.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वारसे नमूना जांच कय किया गया सरसों तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं. 2. 3.15(1)(b) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री अवधेश कुमार जैन उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की भिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावे।



भारत सरकार
राजस्थान
डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल (खुला) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त सरसों तेल (खुला) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000 /- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(समरतम साँकरिया)
न्यायनिर्णयनाधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0